संख्या: 12/2016/277 प्रो0/51-2016-14(03)/2015

प्रेषक,

जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ : दिनांक 05 फरवरी, 2016

विषय:- जनपद-इलाहाबाद में आये हुए राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित आपके पत्र संख्या- 308/नाजिर-नौं-ए, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 के साथ प्राप्त देयकों के भुगतान हेतु **कुल धनराशि रू0 1,16,533 /- (रूपये एक लाख सोलह हजार पॉच सौं तैंतीस मात्र)** आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते है ।

2- कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किये जा रहे है ।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 2053- जिला प्रशासन -आयोजनेत्तर -093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक :07 मूलदेयक । **भवदीय,**

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 12/2016/277 (1)प्रो/51-2016-14(03)/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
3- कोषाधिकारी, इलाहबाद ।
4- प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम, इलाहाबाद/आजमगढ़/गोरखपुर फैजाबाद ।
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।